# SCIENTIFIC COOPERATION

**Agreement Between the**
**UNITED STATES OF AMERICA**
**and INDIA**

Signed at Washington October 17, 2005

*with*

Annexes

NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966 (80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

". . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof."

# INDIA

## Scientific Cooperation

*Agreement signed at Washington October 17, 2005;*
*Entered into force March 14, 2006.*
*With annexes.*

# AGREEMENT

# ON

# SCIENCE AND TECHNOLOGY COOPERATION

# BETWEEN

# THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

# AND

# THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

The Government of the United States of America and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as the "Parties"),

Realizing that international cooperation in science and technology for peaceful purposes will strengthen the bonds of friendship and understanding between their peoples and will advance the state of science and technology of both countries, as well as mankind;

Sharing responsibilities for contributing to the world's future prosperity and well being, and desiring to make further efforts to strengthen their respective national research and development policies for peaceful uses;

Considering scientific and technological cooperation is an important condition for the development of national economies;

Intending to strengthen their economic cooperation through specific and advanced technology applications;

Wishing to establish dynamic and effective international cooperation between organizations and individual scientists in both countries; and

Recognizing that cooperative activities would facilitate exchange and diffusion of technologies between the countries;

Have agreed as follows:

## Article I

1. The purposes of this Agreement are to strengthen scientific and technological capabilities, including engineering, of the Parties, to broaden and expand relations between the extensive scientific and technological communities of both countries, and to promote scientific and technological cooperation in areas of mutual benefit, all for peaceful purposes.

2. The principal objectives of this cooperation are to provide opportunities to exchange ideas, information, skills, and technologies for peaceful purposes, and to collaborate on scientific and technological endeavors of mutual interest.

## Article II

1. Cooperative activities under this Agreement shall be conducted in accordance with the applicable laws, regulations, and procedures in both countries and shall be subject to the availability of appropriated and other funds and personnel.

2. Should funds be made available for the purposes of this Agreement, written procedures will be developed by the Parties to govern the administration of such funds.

## Article III

1. The Parties shall encourage cooperation through exchanges of scientific and technical information; exchanges of scientists and technical experts; the convening of seminars and meetings; the training of scientists and technical experts; the conduct of cooperative research projects; educational exchanges related to science, technology and engineering; the establishment of science-based public-private partnerships; the use of facilities and specific equipment, as appropriate; and other forms of scientific and technological cooperation as may be mutually agreed upon. None of the activities undertaken under this Agreement will relate to the development or use of nuclear, chemical or biological weapons, rocket systems, unmanned air vehicle systems, or to high-resolution remote sensing capabilities.

2. Cooperation under this Agreement shall be based on shared responsibilities and equitable contributions and benefits, commensurate with the Parties' respective scientific and technological strengths and resources.

3. Priority will be given to collaborations that can advance common goals in science and engineering research and education, support partnerships between public and private research institutions and industry, and touch on such science and technology issues as: promotion of science-based decision-making, environmental and biodiversity protection, safe drinking water, watershed management, natural and social sciences, agriculture, marine sciences, energy, basic space sciences, climate, HIV/AIDS and other infectious diseases, chronic disease research, other mutual priorities in health and biomedical research, telemedicine, information and communication technologies, standards and metrology, sustainable development, and other mutually beneficial areas.

4. This Agreement does not preclude or preempt other forms of cooperation between the Parties under separate arrangements.

**Article IV**

1. The Parties shall encourage and facilitate, where appropriate, the development of contacts and cooperation between government agencies, universities, research centers, institutions, private sector companies, and other entities of both countries.

2. Government agencies of the Parties may conclude under this Agreement implementing agreements or arrangements, as appropriate, in specific areas of science, technology and engineering. These implementing agreements or arrangements shall cover, as appropriate, topics of cooperation, procedures for personnel exchanges or program participants, procedures for transfer and use of materials, equipment and funds, and other relevant issues.

3. The Parties may designate other entities, including universities, research centers, institutions, and private sector companies, to carry out activities under this Agreement. Such entities may, with the approval of the Parties, enter into implementing arrangements, as appropriate, in specific areas of science and technology. These

implementing arrangements shall cover, as appropriate, topics of cooperation, procedures for personnel exchanges or program participants, procedures for transfer and use of materials, equipment and funds, and other relevant issues such as intellectual property rights.

4. In case of any inconsistent or ambiguous provisions in an implementing agreement or arrangement, the provisions of this Agreement shall prevail, unless the Parties otherwise agree in writing.

## Article V

Scientists, technical experts, government agencies and institutions of third countries or international organizations may, in appropriate cases, be invited by agreement of the Parties to participate at their own expense, unless otherwise agreed, in projects and programs being carried out under this Agreement.

## Article VI

1. The Parties agree to consult periodically and at the request of either Party concerning the implementation of the Agreement and the development of their cooperation. The Parties shall establish a Joint Committee to coordinate, facilitate, and review cooperative activities under this Agreement, composed of representatives designated by the Parties. The Joint Committee shall be co-chaired by a designated official of the Department of State of the Government of the United States and a designated official of the Government of the Republic of India. The Joint Committee will ordinarily meet at least once a year through any appropriate means agreed to by the Parties, including in person or through electronic means. In-person meetings of the Joint Committee shall alternate between India and the United States, or as agreed to by the Parties.

2. Each Party shall also designate an Agreement Coordinator to conduct administrative affairs and, as appropriate, to provide oversight and coordination of activities under this Agreement, including administration of any funds that may be made available for the purposes of this Agreement, as described in Article II(2).

## Article VII

1. Scientific and technological information of a non-proprietary nature resulting from cooperation under this Agreement, other than information that may not be disclosed for national security, legal, commercial or industrial reasons, shall be made available, unless otherwise agreed, to the world scientific community through customary channels and in accordance with normal procedures of the participating agencies and entities. No warranty of suitability of information exchanged under this Agreement is implied or given.

2. The treatment of intellectual property created or furnished in the course of cooperative activities under this Agreement is provided for in Annex I, which shall apply to all activities conducted under this Agreement unless agreed otherwise by the Parties or their designees in writing.

3. Protected information or equipment shall not be transferred under this Agreement. Annex II provides for the protection of any such information or equipment identified in the course of cooperation under this Agreement and provides for the handling in accordance with the relevant laws and regulations of each Party of unclassified export-controlled information or equipment transferred under this Agreement.

## Article VIII

1. Each Party shall facilitate, as appropriate and in accordance with its laws and regulations, entry into and exit from its territory of appropriate personnel and equipment of the other Party, as well as other materials, data, and specimens used or engaged as part of projects and programs under this Agreement.

2. Each Party shall facilitate, as appropriate and in accordance with its laws and regulations, prompt and efficient access of persons of the other Party participating in cooperative activities under this Agreement to its relevant geographic areas, institutions, data, materials, and individual scientists, specialists and researchers, as needed to carry out those activities.

3. Each Party shall facilitate and encourage, as appropriate and in accordance with its laws and regulations, the exchange of material and equipment considered

necessary to carry out science and technology cooperation provided for under this Agreement.

4. Commodities acquired, including by the United States, its contractors, or grantees, or by India that were financed with United States assistance funds provided under this Agreement, shall be exempt from customs duties imposed by India. If other taxes, including value-added taxes (VAT), are imposed then the Government of India shall provide timely reimbursement to the Government of the United States or its agents. Commodities include any material, article, supplies, goods, or equipment.

## Article IX

In the event that differences arise between the Parties with regard to the interpretation or application of the provisions of this Agreement, the Parties shall resolve them by means of negotiations and consultations.

## Article X

1. This Agreement shall enter into force when the Parties notify each other, through written diplomatic channels, of the completion of their respective national legal requirements necessary for the entry into force of this Agreement. The date of last notification will be deemed to be the date of entry into force of this Agreement. This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years. It may be extended for further ten-year periods by written agreement of the Parties.

2. This Agreement may be terminated at any time by either Party upon six (6) months' written notice to the other Party. Unless otherwise agreed, termination of this Agreement shall not affect the implementation of any cooperative activity carried out under this Agreement and not completed upon termination of this Agreement. Notwithstanding the termination of this Agreement, the obligations set forth in Annexes I and II shall continue to apply without respect to time, unless otherwise agreed in writing by the Parties.

3. This Agreement may be amended at any time through the written agreement of the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Washington, D.C., in duplicate, this 17th day of October 2005, in the English and Hindi languages, each text being equally authentic. In case of ambiguity the English language version takes precedence.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE UNITED STATES
OF AMERICA:

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC
OF INDIA:

## ANNEX I

## INTELLECTUAL PROPERTY

Pursuant to Article VII(2) of this Agreement:

I. General Obligation

The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under this Agreement and relevant implementing agreements or arrangements. The Parties agree to notify one another in a timely fashion of any inventions or copyrighted works arising under this Agreement and to seek protection for such intellectual property in a timely fashion. Rights to such intellectual property shall be allocated as provided in this Annex.

II. Scope

A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this Agreement, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees.

B. For purposes of this Agreement, "intellectual property" shall mean the subject matter listed in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm July 14, 1967, as amended on September 28, 1979, and may include other subject matter as agreed by the Parties.

C. Each Party shall ensure, through contracts or other legal means with its own participants, if necessary, that the other Party can obtain the rights to intellectual property allocated in accordance with this Annex. This Annex does not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which shall be determined by that Party's laws and practices.

D. Except as otherwise provided in this Agreement, disputes concerning intellectual property arising under this Agreement shall be resolved through discussions between the concerned participating institutions, or, if necessary, the Parties or their designees. Upon mutual agreement of the

Parties, a dispute shall be submitted to an arbitral tribunal for binding arbitration in accordance with the applicable rules of international law. Unless the Parties or their designees agree otherwise in writing, the arbitration rules of UNCITRAL shall govern.

E. Termination or expiration of this Agreement shall not affect rights or obligations under this Annex.

III. Allocation of Rights

A. Each Party shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in all countries to translate, reproduce, and publicly distribute scientific and technical journal articles, reports, and books directly arising from cooperation under this Agreement. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provision shall indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly declines to be named.

B. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in paragraph IIIA above, shall be allocated as follows:

(1) Visiting researchers shall receive rights, awards, bonuses, and royalties in accordance with the policies of the host institution.

(2) (a) Any intellectual property created solely by persons employed or sponsored by one Party other than those covered by paragraph III.(B)(1) shall be owned by that Party. Intellectual property created jointly by persons employed or sponsored by both Parties shall be jointly owned by the Parties. In addition, each creator shall be entitled to awards, bonuses and royalties in accordance with the policies of the institution employing or sponsoring that person.

(b) Unless otherwise agreed in an implementing or other agreement or arrangement, each Party shall have within its territory all rights to exploit or license intellectual property created in the course of the cooperative activities.

(c) The rights of a Party outside its territory shall be determined by mutual agreement considering the relative contributions of the Parties and their participants to the cooperative activities, the degree of commitment in obtaining legal protection and licensing of the intellectual property and such other factors deemed appropriate.

(d) Notwithstanding paragraphs III.B(2)(b) and (c) above, if a particular project has led to the creation of intellectual property protected by the laws of one Party but not the other, the Party whose laws provide for this type of protection shall be entitled to all rights to exploit or license intellectual property worldwide although creators of intellectual property shall nonetheless be entitled to awards, bonuses and royalties as provided in paragraph III.B(2)(a).

(e) For each invention made under any cooperative activity, the Party employing or sponsoring the inventor(s) shall disclose the inventions promptly to the other Party together with any documentation and information necessary to enable the other Party to establish any rights to which it may be entitled. Either Party may ask the other Party in writing to delay publication or public disclosure of such documentation or information for the purpose of protecting its rights in the invention. Unless otherwise agreed in writing, the delay shall not exceed a period of six months from the date of disclosure by the inventing Party to the other Party.

## IV. Business Confidential Information

In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is furnished or created under this Agreement, each Party and its participants shall protect such information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative practices. Information may be identified as "business-confidential" if a person having the information may derive an economic benefit from it or may obtain a competitive advantage over those who do not have it, and the information is not generally known or publicly available from other sources, and the owner has not previously made

the information available without imposing in a timely manner an obligation to keep it confidential.

## ANNEX II

## SECURITY OBLIGATIONS

I. Protection of Sensitive Technology

Both Parties agree that no information or equipment requiring protection in the interest of national defense or foreign relations and classified in accordance with its applicable national laws and regulations shall be provided under this Agreement. In the event that information or equipment which is known or believed to require such protection is identified in the course of cooperative activities pursuant to this Agreement, it shall be brought immediately to the attention of the appropriate officials, and the Parties shall consult to identify appropriate security measures to be agreed upon by the Parties in writing and applied to this information and equipment and shall, if appropriate, amend this Agreement to incorporate such measures.

II. Technology Transfer

The transfer of unclassified export-controlled information or equipment between the Parties shall be in accordance with the relevant laws and regulations of each Party. If either Party deems it necessary, detailed provisions for the prevention of unauthorized transfer or retransfer of such information or equipment shall be incorporated into the contracts or implementing arrangements. Export controlled information shall be marked to identify it as export controlled and identify any restrictions on further use or transfer.

**संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार**
**और**
**भारत गणराज्य की सरकार**
**के बीच**
**विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग**
**पर करार**

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके पश्चात् "पक्षों" के रूप में जाना जाएगा),

यह महसूस करते हुए कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से दोनो देशों के लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध सुदृढ़ होंगे तथा आपसी समझ का विकास होगा और दोनों देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ मानवोचित प्रगति होगी;

विश्व की भावी समृद्धि एवं कल्याण में योगदान करने हेतु जिम्मेदारियों को बांटते हुए तथा शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए अपने-अपने राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास नीतियों को सुदृढ़ करने के लिए आगे और प्रयास करने की इच्छा व्यक्त करते हुए ;

यह विचार करते हुए कि वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है ;

विशिष्ट तथा उन्नत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के माध्यम से आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने की इच्छा से ;

दोनों देशों के संगठनों तथा व्यक्तिगत वैज्ञानिकों के बीच गतिशील एवं प्रभावपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए; और

यह मानते हुए कि सहयोगात्मक गतिविधियों से दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान एवं प्रसार को बढ़ावा मिलेगा ;

**निम्नानुसार सहमत हुई हैं -**

**अनुच्छेद -I**

१. इस करार का उद्देश्य दोनों पक्षों की इंजीनियरी सहित वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षमताओं को सुदृढ़ करना, दोनों देशों के व्यापक वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी समुदाय के बीच संबंधों का

विस्तार एवं विकास करना और परस्पर हित के क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग को बढ़ावा देना है । ये सभी कार्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किए जाएंगे ।

२. इस सहयोग के प्रमुख उद्देश्य हैं - विचारों, जानकारी, निपुणता एवं शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकियों का आदान-प्रदान करने के अवसर प्रदान करना और परस्पर हित के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय प्रयासों में सहयोग देना ।

## अनुच्छेद -II

१. इस करार के अंतर्गत सहयोगात्मक गतिविधियां दोनों देशों में लागू कानूनों, विनियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित की जाएंगी और विनियोजित तथा अन्य निधियों और कार्मिकों की उपलब्धता के अध्यधीन होंगी ।

२. यदि इस करार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी तो इस प्रकार की निधियों के संचालन हेतु पक्षों द्वारा लिखित प्रक्रियाएं तैयार की जाएंगी ।

## अनुच्छेद -III

१. दोनों पक्षों द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचनाओं के आदान-प्रदान; वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञों के आदान-प्रदान; संगोष्ठियों एवं बैठकों के आयोजन; वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के प्रशिक्षण; सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन; विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरी से संबंधित शैक्षिक आदान-प्रदान; विज्ञान पर आधारित सार्वजनिक-निजी भागीदारी की स्थापना; सुविधाओं एवं विशिष्ट उपस्करों के यथोचित उपयोग; और परस्पर सहमति से तय किए गए वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग के अन्य तरीकों के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा । इस करार के अन्तर्गत चलाई गई किसी भी गतिविधि का संबंध परमाणु, रासायनिक अथवा जैविक हथियार, रॉकेट प्रणाली, मानव रहित हवाई वाहन प्रणाली अथवा हाई रेजल्यूशन सुदूर संवेदी क्षमताओं के विकास अथवा उपयोग से नहीं होगा ।

२. इस करार के अंतर्गत सहयोग साझी जिम्मेदारियों तथा न्यायसंगत योगदान एवं लाभों पर आधारित होगा, जो दोनों पक्षों की संबंधित वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षमताओं एवं संसाधनों के अनुरूप होगा ।

३. उन सहयोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो विज्ञान तथा इंजीनियरी अनुसंधान एवं शिक्षा में समान लक्ष्यों को बढ़ावा दे सकें, सार्वजनिक तथा निजी अनुसंधान संस्थाओं एवं उद्योगों के बीच भागीदारी में सहयोग प्रदान कर सकें तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी विषयों जैसे - विज्ञान आधारित निर्णय लेने को बढावा देना, पर्यावरणीय तथा जैव विविधता संरक्षण, स्वच्छ पेयजल, वाटरशेड प्रबंधन, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान, कृषि, समुद्री विज्ञान, ऊर्जा, बुनियादी अंतरिक्ष

विज्ञान, जलवायु, एच०आई०वी०/एड्स तथा अन्य संक्रामक बीमारियां, पुरानी बीमारियां पर अनुसंधान तथा स्वास्थ्य एवं जैव चिकित्सीय अनुसंधान में अन्य पारस्परिक प्राथमिकताएं, टेलीमेडिसिन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियां, मानक एवं माप विज्ञान, सतत विकास तथा अन्य पारस्परिक हितों के क्षेत्रों को आगे बढ़ा सकें ।

४. यह करार दोनों पक्षों के बीच पृथक व्यवस्थाओं के अंतर्गत सहयोग के दूसरे तरीकों को प्रतिबाधित नहीं करता है अथवा उनको पूर्व-अधिकृत नहीं करता है ।

## अनुच्छेद -IV

१. दोनों पक्षों द्वारा, जहां उपयुक्त हो, सरकारी एजेंसियों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों, संस्थाओं, निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा दोनों देशों की अन्य एंटिटीज के बीच संपर्कों एवं सहयोग के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा तथा इसे आगे बढ़ाया जाएगा ।

२. दोनों पक्षों की सरकारी एजेंसियां, यदि उचित हो, इस करार के अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरी के विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यान्वयन करार अथवा प्रावधान संपन्न कर सकते हैं । कार्यान्वयन करार अथवा प्रावधानों द्वारा, जैसाकि उचित हो, सहयोग के विषयों, कार्मिकों अथवा कार्यक्रम प्रतिभागियों के आदान-प्रदान के लिए प्रक्रियाओं, सामग्री, उपस्करों तथा निधियों के अंतरण एवं उपयोग की प्रक्रियाओं और अन्य प्रासंगिक विषयों को शामिल किया जाएगा ।

३. दोनों पक्ष इस करार के अंतर्गत कार्यकलाप के संचालन के लिए विश्वविद्यालयों, शोध केन्द्रों, संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों सहित अन्य एंटिटीज को नियुक्त कर सकते हैं । इस प्रकार की एंटीटीज द्वारा दोनों पक्षों की सहमति से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में, जैसाकि उचित हो, कार्यान्वयन संबंधी प्रावधान किए जा सकते हैं । कार्यान्वयन संबंधी इन प्रावधानों द्वारा, जैसाकि उचित हो, सहयोग के विषयों, कार्मिकों अथवा कार्यक्रम प्रतिभागियों के आदान-प्रदान की प्रक्रियाएं, सामग्री के अन्तरण और उपयोग की प्रक्रियाएं, उपस्कर तथा निधियां और अन्य प्रासंगिक विषयों, जैसे बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को शामिल किया जाएगा ।

४. कार्यान्वयन करार अथवा प्रावधानों में यदि कोई प्रावधान संगत न हो अथवा अस्पष्ट हो तो, जब तक कि दोनों पक्ष लिखित रूप में किसी अन्य तरीके पर सहमत नहीं होते, इस करार के प्रावधान मान्य होंगे ।

## अनुच्छेद -V

इस करार के अन्तर्गत चलाई जा रही परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों में, जब तक कि दोनों पक्ष अन्य किसी रूप में सहमत नहीं हो, उपयुक्त मामलो में किसी तीसरे पक्ष के देशों अथवा अन्तरराष्ट्रीय

संगठनों के वैज्ञानिकों; तकनीकी विशेषज्ञों, सरकारी एजेंसियों तथा संस्थानों को अपने खर्च पर भाग लेने हेतु पक्षों के करार द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है ।

## अनुच्छेद -VI

१. दोनों पक्ष किसी एक पक्ष के अनुरोध पर आवधिक रूप से इस करार के कार्यान्वयन तथा उनके सहयोग के विकास से संबंधित विचार-विमर्श के लिए सहमत हुए है । दोनों पक्षों द्वारा इस करार के अन्तर्गत सहयोगात्मक कार्यकलाप का समन्वय करने, सुविधाजनक बनाने और उनकी समीक्षा करने हेतु एक संयुक्त समिति की स्थापना की जाएगी जो पक्षों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों को शामिल कर गठित की जाएगी । इस संयुक्त समिति की सह-अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा मनोनीत अधिकारी तथा भारत गणराज्य की सरकार के एक मनोनीत अधिकारी द्वारा की जाएगी । संयुक्त समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में कम-से-कम एक बार पक्षों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा इलैक्ट्रानिक माध्यमों सहित किसी समुचित माध्यम से व्यक्त सहमति से की जाएगी । संयुक्त समिति की व्यक्तिगत बैठकें बारी-बारी से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में अथवा पक्षों द्वारा व्यक्त सहमति से आयोजित की जाएगी ।

२. प्रत्येक पक्ष द्वारा प्रशासनिक मामलों के संचालन के लिए तथा अनुच्छेद -रूरू(२) में दिए गए उल्लेख के अनुसार इस करार के उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली कोई निधियों के अधिशासन सहित, जैसा उचित हो, इस करार के अन्तर्गत कार्यकलाप का पर्यवेक्षण और समन्वय उपलब्ध कराने हेतु एक करार समन्वयकर्त्ता भी मनोनीत किया जाएगा ।

## अनुच्छेद -VII

१. राष्ट्रीय सुरक्षा, वैधिक, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक कारणों से सार्वजनिक नहीं की जाने वाली सूचनाओं के अलावा इस करार के अन्तर्गत सहयोग के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली गैर-स्वमित्व प्रकृति की वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय जानकारी को, जब तक पक्षों के बीच अन्य किसी प्रकार की सहमति नहीं होती, विश्व वैज्ञानिक समुदाय को पारम्परिक माध्यमों और भागीदार एजेंसियों एवं एंटिटीज की सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा । इस करार के अन्तर्गत आदान-प्रदान की गई जानकारी की उपयुक्तता की कोई वारन्टी विवक्षित नहीं है अथवा नहीं दी जाती है ।

२. इस करार के अन्तर्गत सहयोगात्मक कार्यकलाप के दौरान सृजित अथवा प्रस्तुत बौद्धिक सम्पदा का विवेचन अनुबंध-१ में उपलब्ध कराया गया है जो इस करार के अन्तर्गत चलाए जा रहे सभी कार्यकलाप पर लागू होगा बशर्ते पक्षों अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा अन्यथा लिखित सहमति व्यक्त नही की गई हो ।

३. इस करार के अन्तर्गत सुरक्षित जानकारी अथवा उपस्कर का हस्तांतरण नही किया जाएगा । अनुबंध-रूरू में इस करार के अन्तर्गत सहयोग के क्रम में पहचान की गई ऐसी किसी जानकारी अथवा उपस्कर के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है और इस करार के अन्तर्गत प्रत्येक पक्ष के संबंधित नियमों एवं विनियमों के अनुसार हस्तांतरित अवर्गीकृत निर्यात-नियंत्रित जानकारी अथवा उपस्कर का संचालन करने का भी प्रावधान है ।

## अनुच्छेद -VIII

१. प्रत्येक पक्ष द्वारा जैसाकि उचित और अपने नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हो, दूसरे पक्ष के उपयुक्त कार्मिकों एवं उपस्करों के साथ-साथ इस करार के अन्तर्गत परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में प्रयुक्त अन्य सामग्री, आंकड़ों तथा नमूनों के प्रवेश और बाहर जाने को सुविधाजनक बनाया जाएगा ।

२. प्रत्येक पक्ष, जैसाकि उचित हो और अपने नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हो, दूसरे पक्ष के व्यक्तियों को इस करार के अन्तर्गत सहयोगात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए, जैसाकि उन गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, अपने भौगोलिक क्षेत्रों, संस्थाओं, आंकड़ों, सामग्री तथा वैयक्तिक वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और अनुसंधानकर्त्ताओ तक तत्काल और कार्यक्षम प्रवेश में सुगमता प्रदान करेगा ।

३. प्रत्येक पक्ष, जैसाकि उचित हो और उनके नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हो, इस करार के अन्तर्गत उल्लिखित विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सामग्री एवं उपकरणों के आदान-प्रदान को सुगमिकृत एवं प्रोत्साहित करेगा ।

४. संयुक्त राज्य अमेरिका समेत इसके संविदाकर्त्ताओं अथवा अनुदानदाताओं अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई सामग्री जिसे इस करार के अन्तर्गत प्रदान की गई संयुक्त राज्य सहायता निधि द्वारा वित्त पोषित किया गया है, भारत सरकार द्वारा लगाए गए सीमा शुल्क से मुक्त होगा । यदि मूल्यवर्धित कर(वैट) सहित कोई अन्य कर लगाया जाता है तो भारत सरकार संयुक्त राज्य की सरकार अथवा इसके एजेंटों को समयबद्ध प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी । सामग्री में पदार्थ, वस्तु, आपूर्ति, माल अथवा उपकरण शामिल हैं ।

## अनुच्छेद -IX

पक्षों के बीच इस करार के प्रावधानों की व्याख्या अथवा अनुप्रयोग से संबंधित मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में पक्षों द्वारा उन्हें बातचीत एवं विचार-विमर्श के माध्यम से सुलझाया जाएगा ।

## अनुच्छेद -X

१. यह करार पक्षों द्वारा एक दूसरे को इस करार को लागू करने हेतु अपने संबंधित राष्ट्रों की वैधिक आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित सूचना राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में देने के साथ ही लागू हो जाएगा । अंतिम अधिसूचना की तिथि इस करार के लागू होने की तिथि मानी जाएगी । यह करार दस(१०) वर्षों की अवधि के लिए लागू होगा । इसे दोनों पक्षों के लिखित करार द्वारा अगले दस(१०) वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

२. इस करार को एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को छः(६) माह के लिखित नोटिस पर किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है । जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, इस करार के निरस्त होने से इसके अन्तर्गत चलाई जा रही कोई भी सहयोगात्मक गतिविधि तथा जो इस करार के निरस्त होते समय पूरी नहीं हो पाई थी, के कार्यान्वयन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा । जब तक कि पक्षों द्वारा लिखित रूप में अन्यथा सहमति न हो, इस करार के निरस्त होने के बावजूद परिशिष्ट रु तथा रूरु में विनिर्दिष्ट दायित्व समय का ध्यान रखे बिना जारी रहेंगे ।

३. इस करार को दोनों पक्षों की लिखित सहमति पर कभी भी संशोधित किया जा सकता है ।

इसके साक्ष्यस्वरूप निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी सरकारों से विधिवत् प्राधिकृत होकर इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

वाशिंगटन में, वर्ष २००५ के अक्तूबर माह के १७वें दिन अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में दो मूल पाठों में सम्पन्न इस करार के दोनों पाठ संमान रूप से प्रामाणिक हैं । किसी संशय की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

**संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की ओर से** **भारत गणराज्य की सरकार की ओर से**

## परिशिष्ट -I

### बौद्धिक सम्पदा

इस करार के अनुच्छेद -VII(२) के अनुसार

i. **सामान्य बाध्यता**

दोनों पक्षों द्वारा इस करार के अन्तर्गत तथा कार्यान्वित संबंधित करारों अथवा व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सृजित की गयी अथवा जुटाई गयी बौद्धिक सम्पदा की पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी । दोनों पक्ष इस करार के तहत किन्हीं आविष्कारों अथवा प्रकाशनाधिकार के कार्यों को यथासमय एक-दूसर को अधिसूचित करने तथा ऐसी बौद्धिक सम्पदा के लिए यथासमय संरक्षण प्राप्त करने पर सहमत हैं । ऐसी बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों को इस परिशिष्ट में दिये गये अनुसार आबंटित किया जायेगा ।

ii. **कार्यक्षेत्र**

क. यह परिशिष्ट, पक्षों अथवा उनके पदनामितियों द्वारा विशेष रूप से दी गयी सहमति या अन्यथा के अलावा, इस करार के अनुसार आरम्भ की गयी सभी सहयोगात्मक गतिविधियों पर लागू है ।

ख. इस करार के प्रयोजनार्थ, "बौद्धिक सम्पदा" का अर्थ २८ सितम्बर, १९७९ को यथा संशोधित १४ जुलाई, १९६७ को स्टॉकहोम में सम्पन्न विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन की संस्थापना सम्मेलन के अनुच्छेद २में सूचीबद्ध विषय सामग्री होगा तथा इसमें पक्षों की यथासहमति से अन्य विषय सामग्री शामिल की जा सकेगी ।

ग. प्रत्येक पक्ष यदि आवश्यक हो तो अपने सहभागियों के साथ संविदाओं अथवा अन्य कानूनी तरीकों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि दूसरा पक्ष इस परिशिष्ट के अनुसार आबंटित बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों को प्राप्त कर सकता है । यह परिशिष्ट, एक पक्ष और उसके नागरिकों के मध्य आवंटन में, जो उस पक्ष के कानूनों तथा व्यवहारों द्वारा निर्धारित किये जायें; कोई पूर्वाग्रह अथवा हेर फेर नहीं करता है ।

घ. इस करार में अन्य किसी रूप में किए गए प्रावधानों के अलावा की गयी व्यवस्था में, इस करार के तहत उत्पन्न हाने वाले बौद्धिक सम्पदा से संबंधित विवादों को संबंधित सहभागी संस्थानों अथवा यदि आवश्यक हो तो पक्षों या उनके पदनामितियों के मध्य विचार-विमर्श के माध्यम से सुलझाया जायेगा । पक्षों की आपसी सहमति पर किसी

विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय कानून में लागू नियमों के अनुसार बाध्यकारी मध्यस्थता के लिए किसी मध्यस्थता न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा । पक्षों में अथवा उनके पदनामितियों में अन्यथा किसी रूप में लिखित तौर पर सहमति नहीं होती तो यू०एन०सी०आई०टी०आर०ए०एल० मध्यस्थता नियमावली शासी होगी ।

ङ० इस परिशिष्ट के तहत, इस करार को समाप्त कर देने अथवा इसकी अवधि की समाप्ति से अधिकारों अथवा बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

## iii. अधिकारों का आबंटन

क. इस करार के तहत प्रत्येक पक्ष, सहयोग से सीधे उत्पन्न वैज्ञानिक और तकनीकी जर्नलों, लेखों, रिपोर्टों तथा पुस्तकों का अनुवाद करने, प्रतिकृति तैयार करने तथा सार्वजनिक रूप से सभी देशों में वितरण के गैर-विशिष्ट, अपरिवर्तनीय, राजस्वमुक्त लाइसेंस पाने का पात्र होगा । इस प्रावधान के तहत जब तक यदि लेखक स्पष्ट रूप से नाम उल्लेख करना अस्वीकार न कर दे तैयार किये गये प्रकाशनाधिकार वाले कार्य की सार्वजनिक रूप से वितरित सभी प्रतियों पर उस कार्य करने वाले लेखकों के नामों का उल्लेख होगा ।

ख. उपर पैराग्राफ III क में जिन अधिकारों का विवरण दिया गया है उनसे भिन्न बौद्धिक सम्पदा के सभी रूपों में अधिकार इस प्रकार आबंटित होंगेः

(१) अतिथि अनुसंधानकर्ताओं को, मेजबान संस्थानों की नीतियों के अनुसार पुरस्कार, इनाम और रायल्टी प्राप्त करने के अधिकार होंगे ।

(२)
(क) वे जो पैराग्राफ III (ख) (१) मे शामिल हैं उनसे भिन्न एक पक्ष द्वारा नियुक्त अथवा प्रवर्तित व्यक्तियों द्वारा अकेले स्थापित किसी बौद्धिक सम्पदा, उस पक्ष के स्वामित्व में रहेगी । दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त अथवा प्रवर्तित व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित बौद्धिक सम्पदा उन पक्षों के संयुक्त स्वामित्व में रहेगी । इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्थापक उस व्यक्ति को नियुक्त अथवा प्रवर्तित करने वाले संस्थान की नीतियों के अनुसार पुरस्कार, बोनस तथा रायल्टी पाने का पात्र होगा ।

(ख) किसी कार्यान्वयन अथवा अन्य करार या व्यवस्था में, जब तक अन्यथा सहमति न हो, प्रत्येक पक्ष को सहयोगात्मक कार्यकलाप के दौरान सृजित बौद्धिक सम्पदा का अपने क्षेत्र में दोहन करने अथवा उसको लाइसेंसशुदा करने का पूरा अधिकार होगा ।

(ग) किसी पक्ष के अपने क्षेत्र से बाहर के अधिकारों का निर्धारण पक्षों के संबंधित अंशदान, सहकारिता गतिविधियों में उनकी सहभागिता, बौद्धिक सम्पदा की कानूनी सुरक्षा और लाइसेंस प्राप्त करने की वचनबद्धता की गहनता तथा ऐसे अन्य कारकों, जो भी उपयुक्त समझे जायें, पर विचार करते हुए आपसी सहमति से होगा ।

(घ) उपर्युक्त पैराग्राफ III ख (२)(ख) और (ग) के होते हुए भी यदि एक विशेष परियोजना से एक पक्ष के, न कि दूसरे पक्ष के, कानूनों द्वारा बौद्धिक सम्पदा की स्थापना सुरक्षित होती है तो वह पक्ष, जिसके कानूनों में इस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था है दोहन अथवा विश्व भर में बौद्धिक सम्पदा के लाइसेंस के लिए सभी अधिकारों का पात्र होगा । यद्यपि बौद्धिक सम्पदा के स्थापक, पैराग्राफ ख (२)(क) में किये गये प्रावधान के भी पुरस्कार, बोनस और रायल्टी के पात्र होंगे ।

(ङ०) किसी भी सहकारिता कार्यकलाप के तहत किये गये आविष्कार के लिए आविष्कारक (कों) को नियुक्त अथवा प्रवर्तित करने वाले पक्ष को किसी प्रलेखन तथा सूचना जो दूसरे पक्ष के किन्ही अधिकारों को प्रमाणित करने में जिसके लिए वह पात्र हो, सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होता, उसके साथ-साथ दूसरे पक्ष तत्परता से आविष्कारों का उद्घाटन करना होगा । या वह पक्ष आविष्कार में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के प्रयोजन से ऐसे प्रलेखन या सूचना के प्रकाशन अथवा उसके सार्वजनिक रूप से उद्घाटन में विलंब हेतु दूसरे पक्ष को लिखित रूप में कहेगा । यदि लिखित में अन्यथा सहमति बनी तो आविष्कारक पक्ष द्वारा दसरे पक्ष को सूचना देने में विलंब की अवधि उद्घाटन की तिथि से छः माह से अधिक नही होगी ।

**iv व्यापार संबंधी गोपनीय सूचना**

इस करार के अन्तर्गत व्यापार गोपनीयता के रूप में पहचान की गयी किसी सूचना की यथासमय प्रस्तुति अथवा सर्जन की स्थिति में प्रत्येक पक्ष और इसके सहभागियों को लागू कानूनों, विनियमनों और प्रशासनिक व्यवहारों के अनुसार ऐसी सूचना को सुरक्षा प्रदान करनी होगी । यदि सूचना का सामान्यतया पता न हो अथवा अन्य स्रोतों से वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो तथा यदि किसी व्यक्ति के पास वह सूचना हो तो वह उससे आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है या जिसके पास वह सूचना नहीं है वह उसके माध्यम से प्रतियोगी लाभ प्राप्त कर सकता है और या स्वामित्व वाले ने उसे गोपनीय रखने की बाध्यता को यथासमयवद्धता बिना पूर्व में सूचना उपलब्ध न करायी हो तो उसकी "व्यापार गोपनीयता " वाली सूचना के रूप में पहचान हो ।

## परिशिष्ट II

## सुरक्षा बाध्यताएं

### i. संवेदनशील प्रौद्योगिकी का संरक्षण

दोनों पक्ष सहमत हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा विदेशी संबंधों के हित में अपेक्षित सुरक्षा और लागू राष्ट्रीय कानूनों तथा विनियमन के अनुसार वर्गीकृत किसी सूचना अथवा उपकरण का प्रावधान इस करार के अन्तर्गत नहीं होगा । इस करार के अनुसार सहकारिता कार्यकलापों के दौरान किसी सूचना अथवा उपकरण जिसके लिए यह जाना जाता हो अथवा ऐसी सुरक्षा की अपेक्षा की पहचान का विश्वास हो उस स्थिति में इसे उपयुक्त अधिकारी के ध्यान में तुरन्त लाना होगा तथा पक्षों को और इस सूचना तथा उपकरण के लिए प्रयुक्त समुचित सुरक्षा उपायों की पहचान करने के लिए परामर्श करे लिखित में उस पर सहमति देनी होगी तथा यदि इसे उपयुक्त पाया जाता हो तो ऐसे उपायों को समाविष्ट करने के लिए इस करार में संशोधन किया जायेगा ।

### ii प्रौद्योगिकी अंतरण

दोनो पक्षों के मध्य गैर वर्गीकृत निर्यात-नियंत्रित सूचना अथवा उपकरण का अन्तरण प्रत्येक पक्ष के संगत कानूनों और विनियमों के अनुसार होगा । यदि दोनों में से एक पक्ष इसे आवश्यक समझता है तो अवैध अन्तरण अथवा ऐसी सूचना या उपकरण के पुर्नअन्तरण की रोकथाम हेतु विस्तृत प्रावधान संविदाओं अथवा कार्यान्वयन व्यवस्थाओं में समाविष्ट किये जायेंगे । निर्यात नियंत्रित सूचना को निर्यात नियंत्रित के रूप में पहचान करने के लिए चिन्हित किया जायेगा तथा आगे के उपयोग अथवा अन्तरण पर किन्ही नियंत्रणों की पहचान की जायेगी ।